

## कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई


क्र./एफ-1/ सा.प्र.वि./शि.जा./22/2060

भिलाई, दिनांक 27/01/22

// आदेश //

श्री वाई.विजय, श्री चार्लिस, श्री तुलसी राम एवं श्री मिथलेश, सफाई कामगार नगर पालिक निगम भिलाई के विभागीय जांच में विन्ध कार्य/चूक का दोषी माना गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के खण्ड (एक) परिनिन्दा का औपचारिक दण्ड दिया जाता है तथा विभागीय जांच समाप्त किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

  
(प्रकाश कुमार सर्वे)  
रा.प्र.से.

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

भिलाई, दिनांक 27/01/22

पृ.क्र./एफ-1/सा.प्र.वि./शि.जा./22/2061

प्रतिलिपि :-

1. महापौर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
5. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
6. सर्व संबंधित श्री .....सफाई कामगार, मुख्य कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

  
आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई